



# फतेहगढ़ पुलिस



**Meticulous Investigation & Prosecution**

**#OperationConviction**

**थाना राजेपुर**

**दि0- 02.01.2025**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त भइयालाल पुत्र रामचरन निवासी सीढे चकरपुर थाना राजेपुर जिला फर्रुखाबाद मु0अ0सं0- 262/1999 वाद स0-15968/2024 धारा- 25 आर्म्स एक्ट थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 02.01.2025 को मा0 न्यायालय एसीजेएम एफटीसी कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर जेल में बिताई गयी अवधि व 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।




एपीओ- श्री शीलेन्द्र प्रताप सिंह




कोर्ट मोहररि का0 अंकुर कुमार



पैरोकार का0 बबलु कुमार



GPS Map Camera



**Kamalganj, Uttar Pradesh, India**

SH 29A, Farrukhabad, Kamalganj, 209724, Uttar Pradesh, India

Lat 27.263674, Long 79.631369

01/01/2025 06:27 PM GMT+05:30

Note : Captured by GPS Map Camera